CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(Formerly Kanpur University, Kanpur)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

क्रियान्वयन प्रतिपुष्टि प्रतिवेदन

समाधान

38वाँ दीक्षान्त समारोह

38th Convocation

28th September 2023

38वाँ दीक्षांत समारोह

28 सितंबर 2023

मार्गदर्शक

प्रो विनय कुमार पाठक

कुलपति

सीएसजेएमयू कानपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन प्रतिपुष्टि प्रतिवेदन

- पुरोवाक् (माननीय कुलपति जी)
- प्रतिवेदन का उद्देश्य (अध्यक्ष जी द्वारा)
- प्रतिवेदन निर्माण प्रक्रिया (संयोजक द्वारा)

1. विषय संयोजन Subject Combination
2. व्यावसायिक शिक्षा Vocational Education
3. शोध परियोजना Research Project
4. मूल्यांकन पद्धतियां Evaluation Methods
5. परीक्षा Examination
6. सेमेस्टर पद्धति Semester System
7. छात्र सहभागिता Students Participation
8. संस्थागत पुनर्गठन और समेकन (राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के सन्दर्भ में) Institutional Restructuring and consolidation (In the reference of NEP implementation)
9. अंततः

पुरोवाक्

प्रोफेसर विनय कुमार पाठक

कुलपति

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के उत्कर्ष का वाहक सिद्ध होगी। विद्वानों ने अत्यधिक परिश्रम के पश्चात नीति निर्माण का कार्य सम्पन्न किया है। शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है। अतः क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण पर समीक्षा अपरिहार्य होती है जिससे प्रत्येक चरण की समस्याओं का समाधान दिया जा सके।शिक्षा प्रशासक, शिक्षक तथा विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था के स्तम्भ है। अतः इन सभी के हितों का ध्यान रखना विश्वविद्यालय का दायित्व है।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति शिक्षा व्यवस्था के समस्त अंशधारकों से संवाद स्थापित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 क्रियान्वयन प्रतिपुष्टि प्रतिवेदन **समाधान** प्रस्तुत कर रही है। मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन क्रियान्वयन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समाधान प्रदान करने में सफल रहेगी।

उद्देश्य

प्रोफेसर राजेश कुमार द्विवेदी
अध्यक्ष
राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का निर्माण प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा तथा आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय मानकों को समन्वित कर किया गया है। इस नीति को वास्तविकता के धरातल पर खड़ा करने का दायित्व क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं का है। इस गुरुतर दायित्व के निर्वहन का महत्त्वपूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का है तथा इस कार्य को पूर्ण करने में महाविद्यालयों की भूमिका सर्वाधिक है। प्रत्येक संस्था की समस्या भिन्न होती है किन्तु उसका समाधान अनेक संस्थाओं का मार्ग प्रशस्त करता है।

महाविद्यालयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए तथा क्रियान्वयन की प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की दूरदृष्टि तथा प्रेरणा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति का गठन किया गया। कुलपति महोदय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में गंभीरता ने समिति को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथा सक्रिय बनाया। जिसके परिणामस्वरूप समिति ने शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक अंशधारक से संवाद किया। अनेक बैठकों तथा मंथन के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में महाविद्यालयों के समक्ष आ रही समस्याओं को समझने के पश्चात एवं विशेषज्ञों विचार विमर्श के उपरान्त समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन प्रतिपुष्टि प्रतिवेदन **समाधान** प्रस्तुत कर रहा है। आशा है कि यह मात्र छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ही नहीं वरन् प्रदेश समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की समस्याओं का समाधान देने में सफल होगा।

प्रतिवेदन निर्माण प्रक्रिया

डॉ.यतीन्द्र सिंह कुशवाह
संयोजक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही गंभीर रहा है। नीति क्रियान्वयन के एक वर्ष पश्चात ही समीक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति का गठन महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक की अध्यक्षता में की गयी। समिति ने क्रियान्वयन विविध पक्षों पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये।

समिति ने क्रियान्वयन में सम्बद्ध प्रत्येक अंशधारक के पक्ष को समझने का प्रयास किया। वर्तमान सत्र समिति की संरचना को विस्तार देते हुए प्राचार्य, प्रोफेसर तथा युवा शिक्षकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन स्नातक तथा परास्नातक की समस्त कक्षाओं में हुआ। अतः क्रियान्वयन से सम्बन्धित अनेक पक्ष उजागर हुये। समिति ने समस्त अंशधारकों के साथ चर्चा कर समाधान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया।

समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में महाविद्यालय प्राचार्यों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समन्वयकों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति सारथी के रूप में विद्यार्थियों हेतु चार दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया। मंथन कार्यक्रम में आठ सत्रों में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया–

1. व्यावसायिक शिक्षा : वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएँ
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत परीक्षा : स्वरूप और संभावनाएँ
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यांकन पद्धतियां

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शोध (स्नातक, परास्नातक तथा शोध उपाधि के विशेष सन्दर्भ में)
5. सेमेस्टर पद्धति : आवश्यक या अपरिहार्य
6. बहुविषयक शिक्षा के दौर में विषय संयोजन
7. छात्र सहभागिता
8. संस्थागत पुनर्गठिन और समेकन (राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के सन्दर्भ में)

इस मंथन कार्यक्रम में प्राचार्य, शिक्षक तथा विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मंथन में सम्मिलित अंशधारकों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया तथा समस्याओ के समाधानों का संकलन किया गया। एक ही समस्या के अनेक समाधान प्राप्त होने पर तार्किक तथा वैधानिक समाधानों को विकल्प के रूप में प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय सात प्रशासनिक जिलों में विस्तृत है। मंथन कार्यक्रम के पश्चात विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के शिक्षक तथा विद्यार्थियों के साथ जिलाश: संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संवाद से प्राप्त प्रतिपुष्टि को भी प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

समिति के द्वारा प्रतिवेदन निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूलभूत संरचना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश तथा दिशानिर्देश एवं तत्संबंधित विश्वविद्यालय के आदेशों की परिधि का विशेष ध्यान रखा है। संरचना सम्बन्धित सुझाव देते समय मानकों तथा क्रेडिट संतुलन को यथावत रखा गया है।

समिति को विश्वास है कि यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा।

1: विषय संयोजन /Subject Combinations

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में बहुविषयक शिक्षा को सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक स्वीकार किया है। महाविद्यालयों के समक्ष सबसे बडी समस्या शासन द्वारा प्रदत्त विषय संयोजन को स्थापित करना है। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत विषय संयोजन (मेजर विषय, माइनर विषय, वोकेशनल कोर्स, सह-पाठ्यचर्या, लघु शोध परियोजना) एवं परास्नातक के मेजर एवं माइनर विषय के आवंटन की विस्तृत जानकारी प्रोफेसर महेंद्र सिंह, प्राचार्य, कर्म क्षेत्र महाविद्यालय, इटावा के द्वारा दी गयी। विषय संयोजन के संदर्भ पर गहन विचार विमर्श के विचारणीय बिंदुओं के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नांकित हैं।

1.1 क्रेडिट संरचना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत क्रेडिट एवं विषय संयोजन सारणी में क्रेडिट असंतुलन है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा क्रेडिट संरचना पर पुनर्विचार कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश के आधार पर व्यवस्था निर्मित करने से विषय संयोजन का समाधान किया जा सकता है।

1.2 विषय संयोजन की सर्वाधिक समस्या स्नातक स्तर पर एकल संकाय सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के समक्ष है। इस समस्या के समाधान हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है-

1.2.1 स्नातक स्तर पर एकल संकाय की मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को एक अन्य संकाय के न्यूनतम दो विषयों की मान्यता प्रदान करने तथा सम्बन्धित विषयों के शिक्षकों के पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है।

1.2.2 परास्नातक स्तर पर कतिपय महाविद्यालयों को एकल विषय में ही मान्यता प्राप्त है। इन महाविद्यालयों को परास्नातक स्तर पर महाविद्यालय के अन्य मान्यता प्राप्त विषयों के शिक्षकों से उनके विषय का माइनर प्रश्नपत्र का अध्यापन कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष आदेश निर्गत किया जा सकता है। इस प्रावधान में शिक्षक के कार्यभार का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है।

1.2.3 परास्नातक स्तर पर माइनर प्रश्नपत्र को अन्य संकाय के स्थान पर अन्य विषय से लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी विषय संयोजकों द्वारा घोषित ओपन ऐच्छिक पेपर बहु-विषयक प्रकृति के होते हैं, इसलिए छात्रों को अपने विषय के अतिरिक्त किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

1.2.4 परास्नातक में विज्ञान के माइनर पेपर हेतु नए पाठ्यक्रम / पेपर निर्मित किये जाने चाहिए जो विषय के मौलिक ज्ञान पर आधारित हों, जिससे कला एवं वाणिज्य के छात्रों को इसे अध्ययन करने में परेशानी न हो। कुछ बहुविषयक एवं सार्वभौमिक माइनर पेपर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए, जिससे एकल संकाय के परास्नातक महाविद्यालयों में माइनर पेपर के आवंटन में कठिनाई न हो।

1.3 वर्तमान में स्नातक छात्रों का माइनर प्रश्नपत्र कोई न कोई मेजर विषय का प्रश्न पत्र होता है। अनेक बार महाविद्यालय में उपयोगी प्रश्नपत्र उपलब्ध न होने पर अथवा महाविद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्र की परीक्षा देनी होती है। मेजर विषय के पाठ्यक्रम अग्रेतर कठिन होते जाते हैं अतः एक सेमेस्टर छोड़कर द्वितीय वर्ष में पुनः उस विषय या अन्य विषय के माइनर प्रश्नपत्र के रूप में अध्ययन करने में छात्रों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

1.4 मेजर एवं माइनर विषय के अत्यधिक अतिव्यापन होने के कारण शिक्षण समय सारिणी समयांतराल अधिक हो जाता है जिससे न केवल शिक्षकों बल्कि छात्रों को भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए विषय की मूल अवधारणाओं को शामिल करते हुए अलग से प्रत्येक विषय के माइनर प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही, माइनर विषय के सुचारु संचालन हेतु शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

1.5 मेजर विषयों का पाठ्यक्रम शिक्षण समय अंतराल के सापेक्ष बहुत अधिक है। इसकी समीक्षा कर इससे कम किया जाना चाहिए।

1.6 स्नातक स्तर पर छः सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शासन द्वारा पूर्व में कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। मुख्य विषयों के अध्यापन हेतु महाविद्यालय शिक्षक अभाव की समस्या से ग्रस्त हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना की पूर्ति तथा विद्यार्थी हित में सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन का विकल्प शासन या विश्वविद्यालय स्तर पर दिया जाना चाहिए।

1.7 पाठ्यक्रम में एकरूपता स्थापित की जानी आवश्यक है। कुछ पाठ्यक्रमों में सामान्य लिपिकीय त्रुटि विद्यमान है जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर शुद्ध किया आवश्यक है। मुख्य विषयों के पाठ्यक्रम कोड के अंतर्गत T थ्योरी पेपर लिए P प्रायोगिक पेपर के लिए तथा R शोध परियोजना के लिए लिया गया है परन्तु कई विषयों के प्रायोगिक कोड में R दर्शाया गया है अथवा कोड P लिखते हुए प्रोजेक्ट टॉपिक देकर प्रायोगिक पेपर बताया गया है। अथवा तृतीय वर्ष के सेमेस्टर में क्रेडिट आवंटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विषय स्ट्रक्चर के अनुरूप नहीं किया गया है। इन सभी सन्दर्भों की समीक्षा कर विसंगति को दूर किये जाने की आवश्यकता है।

1.8 विगत वर्षों के परीक्षा परिणामों में सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुये हैं। महाविद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों के अध्यापन हेतु शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण समस्या आ रही है। इन पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में निम्नलिखित समाधानों पर विचार किये जाने की आवश्यकता है-

अ. पाठ्यक्रमों को पुनर्संरचित करते हुए इस प्रकार निर्मित किया जाये कि विद्यार्थी को वर्ष में केवल एक सहपाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़े।

ब. उत्तीर्णांक प्रतिशत 40 प्रतिशत के स्थान पर मुख्य विषयों की भाँति 33 प्रतिशत कर दिया जाये। इससे विद्यार्थियों के मध्य भ्रम की स्थिति समाप्त करने में सहायता मिलेगी अथवा उत्तीर्णांकों की समीक्षा कर एकसमान 35% अथवा 36% का विकल्प भी विचार योग्य है।

2: व्यावसायिक शिक्षा/Vocational Education

कौशल विकास पाठ्यक्रम (व्यावसायिक शिक्षा) की वर्तमान व्यवस्था तथा परिदृश्य पर विस्तृत उद्बोधन डा. यतीन्द्र सिंह, सहायक आचार्य, डी.ए.वी. कालेज कानपुर के द्वारा किया गया। साथ ही एम0ओ0यू0 के माध्यम से संचालित की जाने वाली विकल्पों पर परिचर्चा की गयी। व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन से सम्बंधित वर्तमान परिदृश्य, भविष्य की संभावनाएं एवं उनके क्रियान्वयन पर गहन परिचर्चा एवं मंथन के सुझाव निम्नवत हैं।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप छात्रों में सफल कौशल विकास के उन्नयन हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र आदि की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें शिक्षक, प्रशिक्षक एवं प्रयोगशाला की उचित व्यवस्था हो। इस हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये जाना चाहिए और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु शर्तों को सरलीकृत जाना चाहिए।

2. वर्तमान समयानुरूप विभिन्न क्षेत्रों के नये कौशल विकास पाठ्यक्रम संस्तुत किये जाये जिनसे संबधित प्रयोगशालायें, विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालयों तथा वित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों में स्थापित की जाये। इस हेतु अनुदानित एवं राजकीय महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए। जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के साथ ही नजदीक में कौशल उन्नयन केंद्र की भी सुविधा प्राप्त हो सके।

3. स्थानीय विशिष्टता धारित करने वाले कलाकारों, विद्वानों आदि को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करने के मानकों का निर्धारण आवश्यक है। स्थानीय विशिष्टताओं को धारित करने वाले प्रशिक्षकों को नियुक्त करने हेतु एक नमूना समझौता पत्र, मानदण्ड भी निर्गत किये जायें तथा उसकी वैधता निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना आवश्यक है।

4. व्यावसायिक शिक्षा हेतु ओ.डी.एल. माध्यम उपयोग करने के सन्दर्भ में भी मानक निर्धारित करना आवश्यक है जिससे थ्योरी तथा प्रैक्टिकल का विधिवत उल्लेख हो। इस माध्यम से मात्र उन पाठ्यक्रमों को ही वैधता प्रदान की जाये जिन पाठ्यक्रमों का प्रायोगिक प्रशिक्षण ओडीएल माध्यमों से संभव हो।

5. व्यावसायिक शिक्षा का एक पृथक प्रमाणपत्र निर्मित किया जा सकता है। यह प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र के अतिरिक्त हो किन्तु अंकपत्र का स्वरूप यथावत बना रहे।

6. व्यावसायिक शिक्षा हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति का एक अंश में प्रावधान किया जा सकता है जिसे महाविद्यालय को सीधे हस्तान्तरित किया जाये। इसका उपयोग व्यावसायिक शिक्षा संसाधन निर्माण हेतु किया जाये तथा अतिरिक्त शुल्क वृद्धि से बचा जा सकता है।

7. प्रत्येक विश्वविद्यालय के स्तर पर एक व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाये अथवा एक शिक्षक को एन.एस.एस. नोडल अधिकारी की भाँति उत्तरदायित्व प्रदान किया जाये। यह अधिकारी जागरूकता, पाठ्यक्रम निर्माण, प्रशिक्षक नियुक्ति, सलाहकारी सहयोग, समझौता ज्ञापन, रोजगार केन्द्र, स्थानीय स्तर पर रोजगार मेला, स्वरोजगार हेतु फाइलीकरण कार्यशाला आदि कार्य करेगा। यह व्यवस्था महाविद्यालय के स्तर पर भी की जानी चाहिए।

8. यदि विद्यार्थी किसी बाह्य संस्था से निर्धारित क्रेडिट का अथवा अधिक क्रेडिट का (व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्गत शासनादेश में स्वीकृत) व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण करता है तो उसके क्रेडिट सेमेस्टरवार जोडने की पूर्ण मानक प्रक्रिया का निर्धारण होना आवश्यक है।

9. जिन महाविद्यालयों में छात्रसंख्या कम है उन महाविद्यालयों की भौगोलिक स्थिति तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुये उच्च शिक्षा संस्थान व्यावसायिक शिक्षा समूह (Higher education institutions Vocational group) निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन महाविद्यालयों द्वारा साझा प्रशिक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

10. विश्वविद्यालय खिलाडियों, एन.एस.एस. आदि के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम का पृथक निर्माण कर सकता है।

11. विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा हेतु डीन व्यावसायिक शिक्षा का पद निर्मित किया जाये, जो एक समिति के सहयोग से कार्य करे तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों तथा प्लेसमेंट सेल आदि के साथ समन्वय का कार्य करे।

3: शोध परियोजना / Research Projects

(स्नातक, परास्नातक तथा शोध उपाधि के विशेष सन्दर्भ में)

(In the special reference of UG, PG and Ph.D.)

राष्ट्रीय शिक्षा निति के अंतर्गत स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर शोध से सम्बंधित विभिन्न शासन एवं विश्वविद्यालय के पत्रों, नियमावलियों एवं इसके सापेक्ष आने वाली कठिनाइयों की विस्तार से परिचर्चा तथा उद्बोधन प्रोफेसर डी.सी.श्रीवास्तव, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर के द्वारा की गयी। मंथन के उपरांत निम्न बिंदु सुझाव के रूप में निकल कर आये।

3.1 स्नातक स्तर पर शोध परियोजना/ सर्वेक्षण/ औद्योगिक प्रशिक्षण आदि क्वालीफांइग है। अतः इसे आसपास के वातावरण आदि की प्रारंभिक जानकारी से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। इस परियोजना के विषयवार स्वरूप निर्धारण का कार्य किया जाना आवश्यक है यथा- हिन्दी के विद्यार्थी लोकगीत (संख्या निर्धारित की जा सकती है) संग्रहण, विज्ञान के विद्यार्थी प्रयोगशाला के उपकरणों आदि या इससे सम्बन्धित विषय पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं।

3.2 नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक तृतीय वर्ष के दोनों सेमेस्टर में शोध परियोजना/ सर्वेक्षण/ औद्योगिक प्रशिक्षण का प्रावधान एक-एक बार दिया गया है जो मात्र एक क्वालीफाइंग विषय के रूप है। स्नातक तृतीय वर्ष में दो विषय होते हैं। स्ट्रक्चर को देखने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह दोनों विषयों पर अलग-अलग लागू होगा या दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर ही यह की जानी है। इस हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

3.3 पाठ्यक्रम संरचना में स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष (पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर) में शोध परियोजना/ सर्वेक्षण/ औद्योगिक प्रशिक्षण का प्रावधान है। इन परियोजनाओं के लिए कोई क्रेडिट निर्धारित नहीं है और यह मात्र क्वालिफ़ाइंग है। परन्तु स्नातक स्तर पर विषयों के पाठ्यक्रमों में परियोजना के लिए कई विषयों (इकोनॉमिक्स, फिलोस्फी, सोशियोलॉजी, डिफेन्स इत्यादि) में इसका प्रावधान न

केवल प्रति सेमेस्टर कोड सहित किया गया है अपितु इनके लिए तीन-तीन क्रेडिट भी निर्धारित कर दिये गये हैं। वही जबकि कई विषयों में इसका कोई प्रावधान पाठ्यक्रमों में नहीं किया गया है। इस कारण से तृतीय वर्ष में क्रेडिट असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उपरोक्त प्रकरण पर ध्यान देने हुए तृतीय वर्ष के सभी विषयों का नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम स्ट्रक्चर के अनुरूप क्रेडिट के पुनः निर्धारण की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर सभी विषयों के तृतीय वर्ष में इसका का प्रावधान होना चाहिए एवं इसके लिए कोई क्रेडिट निर्धारित नहीं होना चाहिए। इन शोध परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु भी स्पष्ट निर्देश भी निर्गत होना चाहिए।

3.4 प्रदेश स्तर पर परास्नातक हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल हायर एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के आधार पर 3+2 तथा 4+1 की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए दिशानिर्देश निर्गत किये जायें। जिससे परास्नातक स्तर के लिए शोध परियोजना का स्वरूप निर्धारित किया जा सके।

3.5 परास्नातक स्तर पर शोध परियोजना/ सर्वेक्षण/ औद्योगिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता के संवर्धन हेतु इसके परीक्षा को निम्न व्यवस्था के अनुसार किये जाने की आवश्यकता है।

चतुर्थ वर्ष: परास्नातक प्रथम वर्ष (सप्तम से अष्टम सेमेस्टर) में शोध परियोजना की शोध रूपरेखा के प्रस्तुतीकरण लेखन अथवा सर्वेक्षण/ औद्योगिक प्रशिक्षण से सम्बंधित कार्य पर समग्र रिपोर्ट लेखन प्रोग्रेसिव प्रकृति में किया जाये। जो दोनों सेमेस्टर मिलाकर कुल 8 क्रेडिट तथा 100 अंक का हो। जिसमें 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन तथा 75 अंक वाह्य मूल्यांकन के हो तथा साथ ही न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 75 में 30 तथा 100 में 40 हो। चतुर्थ वर्ष के अंत में किये गए कार्य की रूपरेखा प्रस्तुतीकरण एवं मौखिकी के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक से ही बाह्य मूल्यांकन कराया जाए। इसके साथ ही शोधात्मक लेखन जागरूकता के आधार को मजबूत करने हेतु सम सेमेस्टर (अष्टम) में विश्वविद्यालय द्वारा एक

परीक्षा करायी जाये जो बहुविकल्पीय एवं क्वालीफाइंग प्रकृति का हो। कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों हेतु इस पेपर का पाठ्यक्रम शोध प्रविधि पर आधारित हो जबकि विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों हेतु इस पेपर का पाठ्यक्रम बुनियादी अनुसंधान उपकरण (बेसिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन) पर आधारित हो। इस प्रश्नपत्र के कुल अंक एवं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक उपर्युक्त की ही भांति हों।

पंचम वर्ष: परास्नातक द्वितीय वर्ष (नवम से दशम सेमेस्टर) में प्रथम वर्ष में किये गए शोध/सर्वेक्षण/औद्योगिक प्रशिक्षण के कार्य को विस्तारित करते हुए वृहद् रूप में प्रोग्रेसिव प्रकृति में किया जाये तथा अंत में लिखित शोध प्रबंध जमा करायी जाये जिसका विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक से प्रस्तुतीकरण एवं मौखिकी के आधार पर मूल्यांकन कराया जाए। इस प्रश्नपत्र के कुल अंक एवं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक चतुर्थ वर्ष मौखिकी की ही भाँति हों।

3.6 यद्यपि परास्नातक स्तर पर शोध परियोजना के संचालन एवं मूल्यांकन से सम्बंधित कुछ पत्र निर्गत किये गए है फिर भी इसमें और स्पष्टता लाते हुए इसे मूल्यांकन ऑर्डिनेंस में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी चतुर्थ वर्ष के उपरान्त स्नातक सहित शोध उपाधि लेना चाहते हैं उनको चतुर्थ वर्ष के अंत में ही लघुशोध प्रबन्ध प्रस्तुत/जमा करने हेतु निर्देश जारी किये जाने या मूल्यांकन ऑर्डिनेंस में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है।

4: मूल्यांकन पद्धतियां/Evaluation Methods

मेजर विषय, माइनर विषय, वोकेशनल पाठ्यक्रम एवं सहपाठ्यचर्या विषय से सम्बंधित क्रेडिट आबंटन, अधिकतम अंक, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक, एस.जी.पी.ए. एवं सी.जी.पी.ए. आगणन, उत्तीर्ण/प्रोन्नत/फेल होने की शर्तों इत्यादि से सम्बंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी डा. धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय, सह-आचार्य, पी.पी.एन. (पी.जी.), कॉलेज, कानपुर के द्वारा दी गयी। विभिन्न महाविद्यालयों के आये एन.ई.पी. समन्वयकों के साथ मूल्यांकन पद्धति पर गहन परिचर्चा के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं।

4.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। इस हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता महसूस हुई है। नई शिक्षा नीति को सही ढंग से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी आत्मा और स्वरुप को परिवर्तित न की जाए। इस मूल्यांकन पद्धति में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए जो विषयवार हो तो अधिक उचित रहेगा। इसमें सतत आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा कर राज्य अथवा विश्वविद्यालय नियमावली के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाय।

4.2 प्रश्नपत्र निर्माताओं को प्रशिक्षित किया जाये। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये और प्रतिवर्ष ऐसे प्रश्न पत्र सेट किये जायें जो छात्रों की तार्किक क्षमता को बढ़ाएं जिससे नकल को कम किया जा सके।

4.3 प्रश्न पत्र के प्रारुप में संशोधन किया जा सकता है। आदर्श हल (Modal solution) अनिवार्य रूप से प्रश्नपत्र निर्माता से माँगा जाये। इसी हल के आधार पर मूल्यांकन किया जाये। चरणबद्ध मूल्यांकन प्रणाली को अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया (मॉडल सॉल्यूशन आधार पर) जाये।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन नियमावली निर्मित किये जाने की आवश्यकता है। मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों पर विश्लेषणपरक वीडियो निर्मितकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

4.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा soft skills पर चार पाठ्यक्रमों हेतु दिशानिर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः प्रदेश स्तर पर कोकरिकुलर पाठ्यक्रमों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

4.6 प्रायोगिक परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जायें। प्रायोगिक परीक्षा में अंक निर्धारण की नवीन चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की जाये।

4.7 सेमेस्टर बैक एवं सत्र बैक नियमावली को स्पष्ट बनाया जाये जिससे शिक्षकों, छात्रों एवं महाविद्यालयों को इस विषय में कहीं भी समझने में संदेह न हो।

4.8 डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम को और अधिक यूजर फ्रेंडली तैयार किया जाये तथा उसकी पहुंच सुरक्षित रूप से शिक्षक के लैपटॉप तक हो। जिससे शिक्षण कार्य से समय मिलने पर किसी भी समय मूल्यांकन कार्य को सम्पादित कर सके।

4.9 आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित करने का विकल्प न दिया जाय क्योंकि बैक पेपर में आंतरिक मूल्यांकन में बदलाव संभव नहीं होता है।

परीक्षा/ Examination

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षा के वर्तमान स्वरूप पर विस्तृत जानकारी प्रोफेसर वी. के. कटियार, प्राचार्य ब्रह्मावर्त पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कानपुर के द्वारा दी गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौलिक भावना को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के संचालन में आने वाली कठिनाइयों पर धनात्मक रूप से गहनतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया। जिसके अंतर्गत सुझाव निम्नवत हैं ।

5.1 सेमेस्टर व्यवस्था में परीक्षा की अवधि अधिक होने के परिणामस्वरूप सत्र नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। परीक्षा अवधि सीमित करने हेतु निम्नांकित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है-

विकल्प 1 परीक्षा अवधि सीमित करने के सन्दर्भ में

वर्तमान में प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत माइनर पेपर उस सेमेस्टर का मेजर पेपर होगा एवं उसे उसी सेमेस्टर में ऑप्ट करना होगा जिस सेमेस्टर में मेजर पेपर पढ़ाया जाए, इसमें कई व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं। माइनर पेपर सिर्फ प्रथम दो वर्षों के एक-एक सेमेस्टर में अध्ययन करना है यानी सिर्फ 12 क्रेडिट का कोर्स है। ऐसी स्थिति में माइनर पेपर यदि उस विषय का मेजर पेपर होगा तो फिर माइनर का अर्थ ही समाप्त हो गया। इससे छात्रों पे अत्यधिक दबाब आ रहा है और यह नई शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। अतः आवश्यक है कि दो माइनर पेपर विषयवार बनाया जाए (एक प्रथम वर्ष और एक द्वितीय वर्ष हेतु) और इनका पाठ्यक्रम इस प्रकार रखा जाए कि वह पूरे विषय की मौलिक भावना एवं अवधारणा पर केंद्रित हो, जो किसी दूसरे संकाय के सदस्य हेतु अपेक्षित है। इससे छात्र-छात्राओं में दूसरे विषय एवं संकाय के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होगी। इससे परीक्षा की समय सारिणी निर्मित करते समय मात्र मुख्य विषयों का संयोजन करना होगा और इस संयोजन से अधिकतम तीन सप्ताह में परीक्षा सम्पन्न की जा सकती है। इसमें मुख्य विषयों के अतिरिक्त तीन दिन में निम्नलिखित पद्धति से परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है-

प्रथम दिन – माइनर प्रश्नपत्र (समस्त संकायों हेतु)

द्वितीय दिन – सह-पाठ्यचर्या (कोकरिकुलर प्रश्नपत्र हेतु)

परीक्षा अवधि को सीमित करने का दूसरा उपाय विश्वविद्यालय स्तर पर विषयों के समूह निर्धारित कर किया जा सकता है। यद्यपि इसमें महाविद्यालय में अनुमोदन प्राप्त विषयों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

विकल्प – 2 परीक्षा वार्षिक आधार पर आयोजित करने के सन्दर्भ में

- विश्वविद्यालय की प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षाएं लगभग डेढ़ या दो माह संचालित होती है। प्रथम छ:माही के बाद जब डेढ़ माह परीक्षाएं होती है तो इस रुकावट के उपरांत शिक्षण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूंकि विषम सेमेस्टर में सभी छात्रों के प्रमोट होने की व्यवस्था की गयी है तथा सत्र मूल्यांकन सम सेमेस्टर में किया जाता है अतः यदि शिक्षण एवं समस्त आंतरिक मूल्यांकन को सेमेस्टर पद्धति पर रखते हुए मेजर, माइनर एवं सह -पाठ्यचर्या के दोनों सेमेस्टर के सभी पेपर्स सम सेमेस्टर में संपन्न कराये जाये तो शिक्षण की तारतम्यता भी बनी रहेगी और समय की भी बचत होगी। मूल्यांकन में समय की बचत एवं समय से परीक्षाफल निर्गत होने हेतु किसी एक सेमेस्टर के समस्त पेपर को ऑब्जेक्टिव तथा दूसरे सेमेस्टर के समस्त पेपर को सब्जेक्टिव किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव/सब्जेक्टिव का क्रम प्रत्येक दो वर्ष पर बदल जाना चाहिए।

- जिन विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या अधिक है वहां प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने में अत्यधिक समय लगता है इससे सत्र अंतराल प्रायः अधिक हो जाता है जिससे छात्रों एवं शिक्षकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है अतः ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षण एवं आंतरिक मूल्यांकन सेमेस्टर पद्धति और समस्त वि.वि. परीक्षा सम सेमेस्टर पर होनी चाहिए जबकि आवासीय

विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालयों में पूर्ण सेमेस्टर पद्धति के अनुसार परीक्षा का संचालन किया जाना चाहिए।

- मंथन में इस पर भी विचार किया गया कि क्या विषम सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं आंतरिक आधार पर की जा सकती है? क्योंकि विषम सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से सम सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन यदि यह व्यवस्था लागू की जाती है तो इससे शिक्षा में गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर विचार करते समय कुछ ऐसे प्रतिबंध लागू करने पड़ेंगे जिससे उसे शिक्षा में गुणवत्ता पर कोई आंच न आए।

5.2 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परीक्षा के स्वरूप के सन्दर्भ में शैक्षणिक कैलेंडर के साथ प्रावधान किया गया है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षा सब्जेक्टिव तथा सम सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव पद्धति से आयोजित की जायेगी किन्तु प्रत्येक विषय की एक गरिमा होती है। अतः इस प्रकार सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव परीक्षा का निर्धारण न किया जाये। इस सन्दर्भ में प्रदेश स्तर पर एक विषय विशेषज्ञों की समिति निर्मित कर प्रश्नपत्रों की संरचना की समीक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार उनको पुनर्संरचित किया जाना उचित होगा।

5.3 माइनर प्रश्नपत्रों की लिखित परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव पद्धति से सम्पन्न कराने पर विचार किया जा सकता है। यदि माइनर प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम का निर्धारण पृथक रूप से कर दिया जाने से परीक्षा की अवधि भी कम हो जायेगी तथा साथ ही समय पर परिणाम देने में भी सहायक होगा।

5.4 विश्वविद्यालय स्तर पर एवं महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं का पंजीकरण लगभग 60 से 70% है। छात्राओं का परीक्षा केंद्र स्वकेंद्र होता है। मात्र छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र दूसरे महाविद्यालय में करने से छात्र परेशानी का सामना करता है। जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है वहाँ पर पठन-पाठन एवं परीक्षा

साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। इससे छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। शिक्षकों को भी शिक्षण एवं परीक्षा (दूसरे महाविद्यालय की) कराने में गम्भीर समस्या आती है। किसी महाविद्यालय की बुनियादी अवसंरचना का निर्माण महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के शुल्क से होता है। अतः इसके उपभोग का प्रथम अधिकार महाविद्यालय के विद्यार्थियों का है। अतः स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए।

5.5 नई शिक्षा नीति के लागू होने से उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और प्रमोशन के नियम में बदलाव हुए हैं और कुछ नए कोड उपयोग में लाये जा रहे है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में दी जा रही मार्कशीट में कई ऐसे बिंदु है जो छात्र-छात्राओं को समझ में नहीं आते जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता है । नई शिक्षा नीति के आधार पर, सभी परिवर्तनों को इसमें शामिल करते हुए अंक पत्र के प्रारूप में सुधार की आवश्यकता है।

6: सेमेस्टर पद्धति/Semester System

सेमेस्टर एवं वार्षिक शिक्षण प्रणाली के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत तूलनात्मक उद्बोधन प्रो0 राजेश किशोर त्रिपाठी, प्राचार्य, जनता महाविद्यालय, बकेवर के द्वारा इस सत्र में की गयी। साथ ही वर्तमान में आच्छादित सेमेस्टर शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत विषय संयोजन, मूलभूत आवश्यकताएं, क्रियान्वयन इत्यादि पर गहन विचार विमर्श किया गया जिसमें निम्न सुझाव आये।

1.1 सेमेस्टर प्रणाली समयबद्धत्ता पर ही सुचारू रूप में संचालित हो सकता है अतः प्रत्येक सेमेस्टर का टाइम फ्रेम (समय सीमा) पूर्णतः नियत किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित समाधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है-

विकल्प-1 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अकादमिक कैलेण्डर का कठोरता के साथ पालन किया जाये। विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित अवधि में विस्तार न किया जाये। इससे विद्यार्थियों तथा महाविद्यालयों में अकादमिक कार्य संस्कृति का विकास होगा।

विकल्प -2 यदि विषम परिस्थियों में अवधि विस्तार करने की आवश्यकता पड़ती है तो द्वितीय वर्ष से अन्तिम वर्ष तक औपबंधिक प्रवेश देकर अकादमिक कार्य प्रारंभ कर दिये जाये क्योंकि Year back की स्थिति में ही छात्र को अगले वर्ष में जाने से रोकने का प्रावधान है।

1.2 सेमेस्टर प्रणाली के विषय पाठ्यक्रम समय के सापेक्ष संतुलित नहीं है। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा पाठ्यक्रम संतुलित करने का कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाना चाहिए

1.3 प्रत्येक विषय हेतु माइनर पेपर के पाठ्यक्रम पृथक रूप से निर्मित किया जाये।

1.4 सह-पाठ्यचर्या के सफल संचालन हेतु छात्रहित में विश्वविद्यालय पोर्टल पर सभी पाठ्यक्रमों के व्याख्यान अपलोड किये जाये। जिससे छात्रों को इस विषय हेतु शिक्षक अभाव की समस्या से निजात मिल सके।

1.5 स्नातक स्तर पर लघु शोध परियोजना को परियोजना कर दिया जाये।

1.6 यदि संभव हो तो उपयुक्त नियमावली के अंतर्गत विषम सेमेस्टर की परीक्षा पूर्णतः आंतरिक कर दी जाये जबकि सम सेमेस्टर की परीक्षा वि.वि. द्वारा संचालित की जाये। अथवा दोनों सेमेस्टर की वि.वि. द्वारा परीक्षा एक साथ सम सेमेस्टर में कराई जाये जबकि शिक्षण एवं आंतरिक मूल्यांकन सेमेस्टर प्रणाली पर ही संचालित रहे।

7: छात्र सहभागिता / Students Participation

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मौलिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं पर चर्चा करते हुए वर्तमान में चल रहे एन.ई.पी. स्ट्रक्चर की मूल बातों के बारें में प्रोफेसर मीत कमल, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर ने बताया। इस सत्र में एन.ई.पी. समन्वयकों एवं एन.ई.पी. सारथियों (विद्यार्थियों) ने प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों के फीडबैक में निम्न बिंदु निकल कर आये जो कि मंथन के निष्कर्ष एवं सुझाव से पूर्णतः सामंजस्य रखते हैं।
।

7.1 मेजर विषयों के पाठ्यक्रम बहुत अधिक है इनकी समीक्षाकर सेमेस्टर के समयानुसार कम किया जाये।

7.2 स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय हेतु माइनर पेपर के पाठ्यक्रम अलग बनाये जाए जो विषय के मौलिक ज्ञान पर आधारित हों। साथ ही इनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव पेपर के द्वारा करायी जाये।

7.3 परास्नातक में माइनर पेपर को दूसरे विषय से लेने का विकल्प हो।

7.4 परास्नातक में विज्ञान के माइनर पेपर हेतु नए पाठ्यक्रम / पेपर बनाये जाये जो विषय के मौलिक ज्ञान पर आधारित हों जिससे कला एवं वाणिज्य के छात्रों को इससे अध्ययन करने में परेशानी न हो।

7.5 वोकेशनल हेतु महाविद्यालय में कौशल विकास केंद्र खोले जाएं और इससे सम्बंधित सर्टिफिकेट भी मिलने की व्यवस्था हो।

7.6 को-करिकुलर पाठ्यक्रम के वीडियो लेक्चर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएं।

7.7 स्नातक से माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट को बदलकर प्रोजेक्ट वर्क कर दिया जाये।

7.8 परास्नातक में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट करने हेतु सरल एवं स्पष्ट नियमावली बनाई जाये जिससे छात्रों को इससे करने में सरलता रहे।

7.9 सेमेस्टर की अवधि नियत की जाये। एक सत्र के अंतर्गत दोनों सेमेस्टर हेतु अध्ययन का समय, परीक्षा का समय तथा परीक्षाफल निर्गत होने की तिथि सुनिश्चित की जाये।

8: संस्थागत पुनर्गठन और समेकन
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के संदर्भ में)
Institutional Restructuring and consolidation
(In the reference of NEP implementation)

इस सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के संदर्भ में संस्थागत पुनर्गठन और समेकन पर एक समग्र उद्बोधन प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, प्राचार्य पी. पी. एन. (पी. जी.) कालेज कानपुर ने किया। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य एवं महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस बिंदु से सम्बंधित सभी मुद्दों पर गहन परिचर्चा महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ की गयी। परिचर्चा के मुख्य सुझाव निम्न है।

8.1 महाविद्यालयों को स्वायत्तता देने के लिए संयुक्त निर्णय समितियों को (जैसे कॉलेज कौंसिल) का गठन करने, वोकेशनल एवं अन्य पाठ्यक्रम को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार हो।

8.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप कौशल विकास, शोध एवं नवाचार के अधिक प्रभावी परिणामों के लिए अवस्थापना विकास (डिजिटल इन्फ्रा-स्ट्रक्चर, वोकेशनल पाठ्यक्रम से सम्बंधित प्रयोगशालाएं इत्यादि) हेतु शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाये।

8.3 शैक्षणिक वातावरण को और अधिक मजबूत करने हेतु, शिक्षक पदों का नयी शिक्षा नीति के अपरिपेक्ष्य में वर्क लोड के अनुरूप आगणन कराकर रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाये तथा माइनर विषय हेतु नए शिक्षक पद सृजित कर उनपर नियुक्ति की जाये।

8.4 बहुस्तरीय शैक्षणिक प्रशासन के लिए कालेजों में डीन, निदेशक, हेड, डी.एस.डब्लू. जैसे पद अनुमन्य किये जाये।

8.5 विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों की विशेषज्ञता का लाभ अन्य महाविद्यालयों को भी मिले इसके लिए फैकल्टी विनिमय कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है।

8.6 किसी भी निर्णय में सब का सहभाग हो जैसे नीति निर्माता, शैक्षणिक प्रशासन के लोग, अभिभावक, विद्यार्थी आदि। जिससे अंतिम निर्गत नियम में सब की सहमति हो।

8.7 समेकन के लिए क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी को लचीला बनाया जाये।

8.8 बेहतर व्यवस्था और सुदृढ़ शैक्षणिक परिवेश को स्थापित करने के लिए कम छात्र संख्या के महाविद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों या विभागों को आपस में संयोजित करने की आवश्यकता है।

8.9 मुख्य निष्पादन सूचकांक बनाया जाये जिससे पुनः संयोजन एवं समेकन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके।

अंततः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति अग्राकिंत विषयों पर उत्तर प्रदेश शासन तथा राज्य विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझती है जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हो सकेगा -

1- शैक्षणिक कैलेंडर का कठोरता के साथ पालन सुनिश्चित किया जाये।

2- परीक्षा अवधि को सीमित किया जाये। यह तीन सप्ताह से अधिक न हो।

3- मेजर विषयों के पाठ्यक्रम की समीक्षाकर सेमेस्टर समयावधि अनुसार कम किया जाये।

4- माइनर प्रश्नपत्र के स्वरूप की समीक्षा कर उपयोगिता तथा रुचि के आधार पर मुख्य विषय से पृथक पाठ्यक्रम निर्मित किया जाये।

5- व्यावसायिक शिक्षा हेतु व्यापक मानदण्डों के निर्माण की आवश्यकता है।

6- शोध परियोजना के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय स्पष्ट दिशानिर्देश निर्गत करें।

7- महाविद्यालयों की सम्बद्धता की समीक्षा कर संकाय संतुलन स्थापित किया जाये।

8- संकाय संतुलन हेतु निर्मित नवीन विभागों हेतु शिक्षकों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदसृजित किये जाये।

9- शैक्षणिक वातावरण को और अधिक मजबूत करने हेतु रिक्त शिक्षक पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति

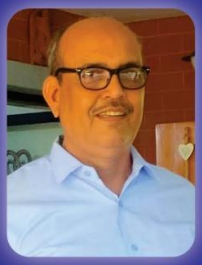

प्रो. राजेश कुमार द्विवेदी
अध्यक्ष

प्रोफेसर रोली शर्मा
संकायाध्यक्ष, अकादमिक

प्रो. अंशू यादव
संकायाध्यक्ष, शोध

प्रो.अनूप कुमार सिंह
प्राचार्य, पी.पी.एन. कॉलेज

प्रो. वी.के. कटियार
प्राचार्य, ब्रह्मावर्त पी.जी.कॉलेज, कानपुर

प्रो. राजेश किशोर त्रिपाठी
प्राचार्य, जनता कॉलेज, बकेवर

प्रो. महेन्द्र सिंह
प्राचार्य, के .के. डिग्री कॉलेज, इटावा

प्रो. डी. सी. श्रीवास्तव
सदस्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर

प्रो.मीतकमल
सदस्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर

प्रो.पद्मा त्रिपाठी
सदस्य, के.के. डिग्री कॉलेज, इटावा

प्रोफेसर सत्य नारायण मिश्र
सदस्य, बी.एन.डी. कॉलेज, कानपुर

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय
सदस्य, पी.पी. एन. कॉलेज, कानपुर

डॉ. यतीन्द्र सिंह
संयोजक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति